चुनाव सुधार पर शिथिल प्रयास...

बिभा त्रिपाठी

चुनाव सुधार की नीतियों में पारदर्शिता हो, सोच में समग्रता, कर्म में निष्ठा और अनुपालन में ईमानदारी हो। ऐसा व्यापक और समावेशी प्रयास हम सबको एक स्वस्थ लोकतंत्र की यात्रा में एक कदम आगे ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।

विसंगतियों और विडंबनाओं से भरे इस समाज के जाने कितने ऐसे स्याह पक्ष हैं, जिनको आजादी के बाद से ही इंगित किया जाता रहा है। पर लगता है कि ये मुद्दे निदान की एक ऐसी पटरी पर सवार हैं, जहां महज यह भ्रम पैदा होता है कि कहीं दूर जाकर ये मिलेंगे और समस्याएं दूर हो पाएंगी, मगर यह हो न सका। चुनाव सुधार भी ऐसा ही एक मुद्दा है। समितियों और सरकार के प्रयासों को देख कर लगता है, मानो ये हाथी के दांत, हैं जो खाने के और, दिखाने के और होते हैं। ऐसे में सर्वप्रथम आवश्यकता इस बात की है कि हम सब यह समझें कि किसी लोकतांत्रिक देश की निरंतरता, प्रगति और विकास की धुरी है, उस देश की स्वस्थ, स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी चुनाव-व्यवस्था, जो धनबल, बाहुबल और सत्ताबल से मुक्त हो।

समाज अगर व्यक्ति का निर्माता है, तो व्यक्ति भी समाज का निर्माण करता है। इस कथन का निहितार्थ है कि हर व्यक्ति का निर्णय महत्त्वपूर्ण है और सरकार को इसका महत्त्व समझना चाहिए। अब प्रश्न है कि ऐसे कौन-से मुद्दे हैं, जिन पर चुनाव आयोग की नजर पड़ी और बातें हुई, ऐसे कौन से मुद्दे हैं, जिन्हें राजनीतिक दलों द्वारा उठाया गया और ऐसे कौन-से मुद्दे हैं, जिन पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई?

प्रश्न यह भी है कि क्या एक नागरिक को अपने एक वोट का सही अर्थ, आवश्यकता और महत्त्व का भान है? क्या दलबदल कानून अपनी प्रासंगिकता खो चुका है? क्या चुनाव नतीजे आने के तत्काल बाद, पूर्ण बहुमत का अभाव और सरकार बनाने की जोड़-तोड़ के तनाव ने लोकतंत्र की रीढ़ पर हमला कर दिया है और क्या नोटा की गंभीरता को समझने की कोशिश की गई है? क्या भारत के संविधान की प्रस्तावना में अभिव्यक्त मूल्य और निरीह, लाचार, दिग्भ्रमित, बेरोजगारों के स्वप्नों के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी है कि इसने देश को धर्म और जाति के नाम पर नितांत कठोर, असंवेदनशील और असहिष्णु बना दिया है?

आज इन प्रश्नों पर न सिर्फ बहस करने, बल्कि एक उचित समाधान ढूंढने की भी आवश्यकता है, क्योंकि यह देश हमारी आन, बान और शान है और इसके ध्वज में कहीं भी लघुता ग्रंथि का कीड़ा नहीं लगना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात है कि हमेशा एक रेखा को छोटी करने के लिए उससे बड़ी रेखा खींच देना ही विकल्प नहीं होता, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपनी रेखा को बड़ी करने के प्रयास की आवश्यकता इसलिए नहीं होती, क्योंकि उसके बगल में कोई रेखा ही नहीं होती (ऐसा भारत के पड़ोसी देशों की समस्याओं के संदर्भ में कहा जा सकता है)।

अब राजनीति का अपराधीकरण नहीं, बल्कि अपराधों का राजनीतिकरण हो गया है। अब दलबदल नहीं, व्यक्ति बदल, व्यक्तित्व बदल, विचार बदल, वैचारिकी बदल, चुनाव और लाभ के लिए सब कुछ जायज है की नीति एकरूपता और समभाव के साथ अपनाई जा रही है। वहीं शैक्षणिक

संस्थानों में इस विषय पर शोध की आवश्यकता महसूस हो रही है कि कि चुनावी घोषणापत्र को जनता के साथ किया गया करार माना जाए और अगर उसे पूरा न किया जा सके तो उस दल को कानूनी दलदल में घसीटा जाए।

आजकल मुफ्त योजनाओं पर जुमलेबाजी और कटाक्ष एक पुरानी कहावत की याद दिलाते हैं कि तुम करो तो पुण्य और हम करें तो पाप। दरअसल, अब लोगबाग प्रतिस्पर्धा बेहतरी के लिए नहीं करते, बल्कि गिरावट के लिए करते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य की मुफ्त व्यवस्था हो और अन्यान्य किसी भी स्थिति में कुछ भी मुफ्त में न दिया जाए, क्योंकि श्रम का अपना महत्त्व है। हम व्यक्ति की उम्र, क्षमता और योग्यता के अनुसार उससे काम लें और फिर उसके योगदान के अनुरूप उदार पारिश्रमिक प्रदान करें।

कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अब ऐसा महसूस किया जा रहा है कि समस्त करदाताओं को देश के नीति निर्धारण में भागीदार बनाया जाए और मुफ्त की सरकारी योजनाओं पर उनसे उचित विमर्श किया जाए। अगर चुनाव सुधारों की बात की जाए तो सर्वप्रथम यह सुनिश्चित होना चाहिए कि सुधार स्थायी और जड़ों तक पहुंचने वाले हों। इन सुधारों की पृष्ठभूमि में स्वस्थ, जीवंत और जुझारू लोकतंत्र की छवि हो, जो समग्रता, समावेश और समायोजन के स्तंभों पर टिकी हो और ठोस सैद्धांतिक सुधारों के साथ व्यवहार के हर पहलू को परखती हो।

चुनाव सुधार में निर्वाचन आयोग की भूमिका पर बात करते समय ऐसा लगता है कि जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने तब पहली बार देश को चुनाव आयोग जैसी किसी संस्था का भान हुआ। वास्तव में शक्ति का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है और निर्वाचन आयोग की शक्ति पूर्णरूपेण स्वंतत्र होनी ही चाहिए और इसके पदाधिकारियों की जवाबदेही सिर्फ जनता के प्रति होनी चाहिए।

भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनाव सुधार के मद्देनजर कहा था कि लगभग चालीस से भी ज्यादा संस्तुतियों पर विमर्श कर उस पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। मसलन, चुनाव में होने वाले खर्च की सीमा क्या होगी? निर्दलीय उम्मीदवार के लिए क्या नीति होगी? चुनाव प्रचार के तौर-तरीके, माध्यम और खर्च, राजनीतिक दलों के हवाई यात्रा, सम्मेलनों की सीमा, सोशल मीडिया का उपयोग और दुरुपयोग, स्थानीय प्रतिनिधित्व को वरीयता, एक देश एक मतदान व्यवस्था, मतदाता पहचान-पत्र और आधार कार्ड को जोड़ने की व्यवस्था, एक समय पर चुनाव, चुनाव आयुक्त का चयन दायित्व और समयावधि, राष्ट्रीय चुनाव कोष की स्थापना और संचालन जैसे मुद्दों का सर्वसम्मति से निस्तारण होना चाहिए।

चुनाव सुधार के लिए गठित समितियों और सेवा निवृत्त मुख्य निर्वाचन आयुक्तों द्वारा सुझाए गए विकल्पों पर काम करने की आवश्यकता है। और आवश्यक हो तो संविधान में उचित संशोधन किया जाए। इसके साथ ही या तो तकनीकी प्रगति का हर संभव लाभ लेते हुए मतदाता को अपने मोबाइल फोन से अपना मत देने तक की व्यवस्था की जाए, ताकि अपनी सेवा शर्तों के अनुसार वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर भी हो, तो मतदान से वंचित न रह सके अन्यथा मतपत्र की पुरानी प्रणाली और डाक मतपत्र आदि के विकल्प पर बात की जाए। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि हमारे देश की शिक्षा-व्यवस्था में सुधार किया जाय। पाठ्यक्रम में उचित बदलाव करते हुए चुनाव की प्रक्रिया, वोट के मायने, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र की आवश्यकता और अन्य प्राथमिकताओं पर सघन चर्चा की व्यवस्था होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को यह समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें राष्ट्र की समग्र उन्नति के लिए कार्य करना है, वैश्विक स्तर की उत्तम अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का प्रबंध करना है और ऐसी नीतियां बनानी हैं, जो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करते हुए लोकतंत्र को लगातार मजबूती प्रदान करें, ताकि आने वाली सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार के नीतियों का अनुसरण करें और हर हार के लिए पूर्ववर्ती सरकार का नाम लेने की आवश्यकता न पड़े।

प्रख्यात विधिशास्त्री जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए इस प्रकार से चुनाव सुधार किया जाए, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के हितों की रक्षा हो सके और कम से कम लोगों को कम से कम परेशानी हो सके। चुनाव सुधार की नीतियों में पारदर्शिता हो, सोच में समग्रता, कर्म में निष्ठा और अनुपालन में ईमानदारी हो। ऐसा व्यापक और समावेशी प्रयास हम सबको एक स्वस्थ लोकतंत्र की यात्रा में एक कदम आगे ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।

भुखमरी-कुपोषण बढ़ा गई महामारी

दीपिका अरोड़ा

भोजन जीवन की आधारभूत आवश्यकता है, जिसके अभाव में जीने की कल्पना करना भी असंभव है। पर्याप्त मात्रा में इसकी उपलब्धता जितनी अनिवार्य है, उतना ही महत्वपूर्ण है सम्पूर्ण आहार के तौर पर पोषक तत्वों का समुचित समावेश। वर्ष 2019 का वर्षांत न केवल दैवीय प्रकोप के रूप में अपने साथ कोरोना महामारी लेकर आया अपितु आपातकालीन परिस्थितियों सहित वैश्विक व्यवस्थाओं को विभिन्न स्तरों पर भीषण आर्थिक मंदी का सामना भी करना पड़ा। खाद्यान्न उपलब्धता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। यूएन की 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, 2022' रिपोर्ट' बताती है कि 2019 के पश्चात विश्वभर में भुखमरी का आंकड़ा तीव्र गति से बढ़ा। जहां 2019 में विश्व के 61.8 करोड़ लोग भूख से संघर्षरत थे, वहीं 2021 में यह संख्या बढ़कर 76.8 करोड़ तक जा पहुंची। भुखमरी के आंकड़ों में विगत 15 वर्षों से अनवरत जारी बढ़ोतरी में कोरोना काल के दौरान अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई।

इस संदर्भ में यद्यपि भारत की स्थिति को बेहतर आंका जा रहा है, तथापि सर्वेक्षण के अनुसार, अभी भी 22 करोड़ भारतीय लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता। रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में वैश्विक स्तर पर भुखमरी के शिकार 76.8 करोड़ लोगों में 29 प्रतिशत भारतीय थे। भुखमरी मिटाने की यह रफ्तार भले ही विकसित देशों की अपेक्षा कम अथवा पड़ोसी राष्ट्रों से बेहतर रही हो, किंतु रिपोर्ट बताती है कि 2021 में भारत की कुल 22.4 करोड़ आबादी कुपोषण का शिकार पाई गई। एक प्रकाशित सर्वेक्षणानुसार, 70.5 प्रतिशत भारतीय पोषाहार से वंचित हैं।

बड़ी संख्या में भारतीय वयस्कों के मोटापाग्रस्त होने तथा महिलाओं के एनीमिया-पीड़ित होने संबंधी विवरण भी दिया गया है। रिपोर्ट के तहत 15 से 49 आयुवर्ग के 3.4 करोड़ लोग ओवरवेट' श्रेणी में सम्मिलित हो चुके हैं। जबकि 4 वर्ष पूर्व यह संख्या 2.5 करोड़ थी। महिला रक्ताल्पता मामलों की संख्या 2019 में लगभग 17.2 करोड़ रही, जबकि 2021 में भारत की कुल 18.7 करोड़ भारतीय महिलाएं एनीमिक पाई गईं।

''ग्लोबल हंगर इंडेक्स-2021'' के अनुसार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है। दूध, चावल, मछली, सब्ज़ी तथा गेहूं उत्पादन में अग्रणी राष्ट्र होने तथा वैश्विक स्तर पर सबसे सस्ता पौष्टिक आहार भारत में उपलब्ध होने पर भी कुल जनसंख्या के एक-चौथाई से अधिक अंश का पोषाहार से वंचित रहना, नि:संदेह आश्चर्यजनक है। इसमें जहां व्यवस्थात्मक प्रबंधन की कमियां उजागर होती हैं, वहीं भारतीय संस्कृति के पारम्परिक आहार नियमन भी एक वजह है।

भारतीय सभ्यता में अन्न को देवत्व से जोड़ा गया है। परम्परानुसार भोजन व्यर्थ गंवाना अथवा झूठा छोड़ना सर्वथा निषेध है किंतु परिवर्तित जीवनशैली के आधार पर आयोजित भव्य समारोहों में परोसे गए विविध व्यंजनों का एक बड़ा हिस्सा आस्वादन अतिरेक में कूड़ेदान के हवाले कर दिया जाता है, जो कि अनेक जरूरतमंद लोगों का क्षुधापूरक बन सकता था।

आज भी सरकारी व्यवस्था का असंतोषजनक व अव्यवस्थित होना सर्वाधिक विडंबना का विषय है। जहां लाखों लोग दाने-दाने को मोहताज हैं, वहीं प्रतिवर्ष लाखों टन

अनाज कुव्यवस्था की भेंट चढ़ जाता है। पोषाहार व मुफ्त अनाज आवंटन योजनाओं की विसंगति तथा सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंच बना पाना एक यक्ष प्रश्न है तो गुणवत्ता मूल्यांकन में अक्षरशः खरा उतरना एक संदेहास्पद विषय। अभक्ष्य आहार से क्षुधापूर्ति व गुणवत्ता रहित अथवा कम गुणवत्ता वाले अनाज से सम्पूर्ण पोषक तत्वों की आपूर्ति भला कैसे संभव है?

रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों का असीमित प्रयोग पोषक तत्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने सहित अन्न की प्राकृतिक गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। संतुलित आहार, मात्रा आदि से संबंधित अपर्याप्त जानकारी भी रक्ताल्पता जैसी स्वास्थ्यजनित समस्यायों में असामान्य वृद्धि का बड़ा कारण हैं। आवश्यक शारीरिक सक्रियता का अभाव एवं 'जंक फूड'' का बहुप्रचलन युवाओं में मोटापे की समस्या बनकर उभर रहा है। 'रेडी टू ईट'' परंपरा का अनुसरण समय व श्रम भले ही बचाता हो लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव कुपोषण व स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ही लेकर आते हैं। महानगरीय अतिव्यस्तता जिस जीवनशैली को आधुनिकता का पर्याय मानने लगी है, वही शारीरिक तथा मानसिक रुग्णता का कारण बन रही है।

भोजन बनाना, परोसना, ग्रहण करना व बचे अन्न का सद्प्रयोग हमारे परम्परागत संस्कार हैं, इनकी अवहेलना से केवल विकार ही उत्पन्न होंगे और विकारों से आरोग्य व पोषकता की अपेक्षा कैसे व क्योंकर हो सकती है? आवश्यकतानुसार परोसना तथा मिल-बांटकर खाना ही हमारी सांस्कृतिक विलक्षणता है।

वही व्यवस्था श्रेष्ठतम आंकी जा सकती है जो न केवल अन्न के मंडीकरण, भंडारण, वितरण आदि के समुचित प्रबन्धन के प्रति निष्ठापूर्वक जिम्मेवार हो बल्कि निर्धनता, बेरोजगारी, महंगाई, अज्ञानता जैसी सामाजिक समस्याओं के उन्मूलन हेतु भी संकल्पबद्ध हो ताकि देश की प्रत्येक थाली में भरपेट संतुलित भोजन मिल पाए।

राजा महाकाल राजसी ठांट-बांट से उज्जयिनी में अपनी प्रजा का हाल जानने निकलेंगे

द्वारकाधीश चौधरी

ज्योतिर्लिंग श्री महाकाल पृथ्वी लोक के अधिपति अर्थात राजा हैं, देश के बारह ज्योतिर्लिंगों में श्री महाकाल एक मात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग हैं जिसकी प्रतिष्ठा पूरी पृथ्वी के राजा और मृत्यु के देवता श्री महाकाल के रूप में की गई हैं। महाकाल का अर्थ समय और मृत्यु के देवता दोनों रूपों में लिया जाता हैं। कालगणना में शंकु यंत्र का महत्व माना गया हैं। मान्यता है कि पृथ्वी के केन्द्र उज्जैन में उस शंकु यंत्र का स्थान श्री महाकालेश्वर का लिंग हैं। इसी स्थान से पूरी पृथ्वी की कालगणना होती रही। पृथ्वी के नाभी केन्द्र पर स्थित दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जो दुनिया का एक मात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। तंत्र की दृष्टि से भी इस दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग का बड़ा महत्व हैं। इन्हीं वैशिष्ट्यों के कारण श्री महाकाल का वैदिक मंत्रों से जप-अनुष्ठान-अभिषेक करने पर त्वरित और निश्चित फल मिलता हैं।

भारत के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग हिन्दुओं के सात पवित्र नगरों में से एक उज्जयिनी में हैं। श्री महाकाल की नगरी में महाकाल के अतिरिक्त 84 महादेव का भी महत्व है। एक तीर्थ के रूप में अनेक नगरियों की अपनी-अपनी मान्यता हैं, विश्वास है परंतु उज्जयिनी सहीं मायने में तीर्थों का तीर्थ हैं। महाकालेश्वर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा यही हुई हैं। ऐसी भी मान्यता है कि महाप्रलय के बाद मानव सृष्टि का आंरभ इसी पावन भू-भाग से हुआ हैं। महाकाल तीर्थ क्षेत्र को केदारनाथ और काशी से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया हैं। सर्वाधिक पुण्यमय भूमि, पापनाशी, अलौकिक शांति और मनोवांछित फल देने में इस क्षेत्र की महत्ता मान्य हैं। उज्जयिनी धार्मिक, सांस्कृतिक नगरी एक आध्यात्म प्रधान नगर हैं। यहां द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान महाकाल का विशाल मंदिर, सिद्धपीठ हरसिद्धि, सिद्धवट, कालभैरव, चिंतामण गणेश, भर्तृहरि की अलौकिक गुफाएं, मंगलनाथ जहां से कर्क रेखा निकली आदि दर्शनीय स्थल हैं।

महाकाल का एक मात्र मंदिर होने के कारण भी इस स्थान का महत्व अधिक है। कहा जाता है कि यहां से चार कोस तक का ईलाका राजाओं के परिवार का नाश करने वाला है। इस इलाके में केवल राजा महाकाल का ही शासन चलता है, पूर्व में तो कोई पगड़ी धारी, मुकुटधारी राजा-महाराज उनके क्षेत्र में बिना इजाजत के कदम नहीं रखते थे ।

बारह ज्योतिर्लिंगों में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का बड़ा महत्व है किसी भी ज्योतिर्लिंग में प्रात: भस्मार्ती नहीं होती है। एक मात्र ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर ही हैं जहां प्रात: भस्मार्ती होती है। बुजुर्ग श्रद्धालु बताते है कि पूर्व में मुर्दे की ताजी भस्म चढ़ती थी किंतु सन् 1978 में मंदिर शासन के अधीन हुआ और उसके पश्चात प्रशासन ने मुर्दे की भस्म को बंद कराकर गाय के उपले की भस्मी तैयार कर प्रात: भस्मी चढ़ाई जाती हैं। प्रात: स्मरणीय भोलेशंकर चैदह ब्रह्माण और मोक्ष के मालिक हैं,

इनके प्रात: स्मरण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं।

किसी देश का राजा अगर अपनी प्रजा की परवाह करने लगे तो वहां की प्रजा कभी दु:खित नहीं रह सकती हैं। प्रजा में हिन्दू , मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई सभी धर्म के रहने वाले व्यक्ति होते हैं। वहां कभी अकाल, सूखा, भूखमरी जैसी नौबत नहीं आएंगी। राजाधिराज महाकाल पूरी पृथ्वी के पालक और अपनी प्रजा के रक्षक हैं। राजा जब शहर में अपनी प्रजा को देखने निकलते हैं तो प्रजा राजा के निकलने वाले मार्ग को दुल्हन की तरह सजाती है और उनके स्वागत के लिए पुष्प से पलक-पावड़े बिछा देती हैं तथा उनकी एक झलक देखने को आतुर रहती हैं।

पौराणिक मान्यता है कि राजा श्री महाकालेश्वर की सवारी सावन भादौ माह, कार्तिक माह, दशहरा एवं कृष्ण पक्ष की चैदस को हरिहर मिलन पर निकलती हैं, हरिहर मिलन को सवारी छत्रीचैक स्थित द्वारकाधीश मंदिर में रात्रि बारह बजे पहुंचती हैं, और वहां पर हरि (कृष्ण), हर (महादेव) मिलन होता हैं। राजा महाकालेश्वर की सवारी राजसी ठाट-बांट से निकलती है। पूर्व सिंधिंया राज में जब राजा श्री महाकालेश्वर की सवारी निकलती थी तब प्रत्येक सवारी के साथ प्रशासकीय अधिकारी, कर्मचारी, चपरासी अपनी-अपनी यूनिफार्म में सवारी के साथ पैदल चलते थे, साथ ही प्रत्येक सवारी में पचास से सौ, सफेद घोड़े या काले रंग के होते थे एवं सरकारी बैण्ड अपनी साज सज्जा के साथ होता था, किंतु अब उसमें कमी आई है। पूर्व में सवारी के साथ याने राजा की पालकी के आगे मशालची, ध्वज, चैपदार, नगाड़े एवं छत्र चलता था, किंतु अब आधुनिक युग आने के कारण मशालची, ध्वज और नगाड़े नहीं चलते हैं, जबकि 'ध्वज' राजा की निशानी है। पहले सवारी का व्यापक स्वरूप नहीं होता था। प्रचार-प्रसार का अभाव था,

शाही सवारी 22 अगस्त पर विशेष

श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ नहीं उमड़ती थी और सीमित साधनों के कारण मात्र राजा की पालकी एवं सवारी मार्ग में अंधेरा होने के कारण गैस बत्ती में सवारी निकलती थी। तब शहर की जनता ही सवारी के दर्शन करती थी।

भगवान श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी निकलने के पूर्व महाकाल मंदिर में अपरान्ह तीन बजे श्री चंद्रमोलेश्वर बाण की पूजा श्री चंद्रमोलेश्वर मुखौटा के सामने रखकर षोडश मंत्रों से पूजा शासकीय पुजारी घनश्याम गुरू के द्वारा की जाती हैं। ध्यान, आव्हान, आसन, पाद्य, स्नान, पंचामृत, चंदन, अक्षत, अबीर, गुलाल, यज्ञोपवित, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, मंत्र, पुष्पांजलि, प्रसाद के साथ चाँदी की बनी हुई श्री चंद्रमोलेश्वर की आकृति में प्रतिष्ठा करा देने के पश्चात मुखौटे को पालकी में विराजमान करके शाही सवारी अपरान्ह चार बजे कड़ाबीन की आवाज एवं चैपदार के द्वारा राजा की सवारी के आगाह के साथ गुदरी, पानदरीबा, कहारवाड़ी होती हुई रामघाट पहुंचती हैं, जहां रामघाट स्थित शिप्रा नदी के तट से शिप्रा के अमृतमयी जल से राजा महाकाल की पूजा की जाती है तथा दत्त अखाड़ा घाट से जूना अखाड़े के पीर महंत द्वारा पूजा-अर्चना की जाती हैं। पश्चात सवारी दानीगेट, कार्तिक चैक, ढाबा रोड़, टंकी चैक, मिर्जा नईम बेग मार्ग, तेलीवाड़ा, कंठाल सराफा, छत्रीचैक, पटनी बाजार होती हुई महाकाल पहुंचती हैं।

दो कि.मी. से भी अधिक लंबी सवारी में पालकी के आगे तोपची, घुड़सवार पुलिस, स्काउट्स, सेवादल विशेष वेशभूषा में रहते हैं, पंडित भजन, मंडली झांझ, मझीरा, शंख, बिगुल, डमरू बजाते जोर शोर से गाते बजाते जाते हैं। श्री महाकालेश्वर की शाही सवारी 22 अगस्त सोमवार को महाकाल मंदिर से अपरान्ह चार बजे षोडस मंत्रों से पूजा अर्चना के पश्चात राजा श्री चंद्रमोलेश्वर की आकृति में प्रतिष्ठा करा देने के पश्चात मुखौटे को चांदी की पालकी में विराजमान करते हैं। पालकी के अलावा रथ पर सवार गरूड़ की प्रतिमा के ऊपर शिव की तांडव करती प्रतिमा, रथ पर सवार नंदी पर विराजमान उमा महेश की प्रतिमा, रथ पर घटाटोप एवं अहिल्या का मुखौटा एवं हाथी पर मनमहेश की प्रतिमा होती हैं। सवारी के दिन दूर-दराज से लाखों श्रद्धालु अत्यधिक भीड़ के बावजूद पालकी में विराजमान राजाधिराज भगवान श्री महाकालेश्वर की एक झलक देखने को आतुर रहते हैं। सारा शहर 'हर हर महादेव', 'उज्जैन में आनंद भयो-जय महाकाल की', 'भोले शंकर भोले नाथ', 'ऊँ नम: शिवाय' के नारों से शहर शिवमय हो जाता है। सवारी की करीब दो सौ से भी अधिक स्थानों पर पूजा अर्चना की जाती हैं। सवारी रात्रि 11 बजे पुन: महाकाल मंदिर पहुंचती हैं, पश्चात महाकाल में शयन आरती होती हैं।